

पीठासीन अधिकारी – मनीष कुमार जाटव
(R.A.S.)

दावा संख्या
14 / 2021

रजू दिनांक
12.02.2021


निर्णय दिनांक
06.12.2024

1. शिवलाल उम्र करीब 60 वर्ष
2. सुबेसिंह उम्र करीब 52 वर्ष
3. सुनील कुमार उम्र करीब 38 वर्ष पुत्रान् श्री घीसाराम जातियान जाट निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०

—वादीगण

// बनाम //


1. धर्मसिंह उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र श्री उदमीराम
2. दिनेश पुत्र श्री रतीराम निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर
3. कमला पुत्री रतीराम पत्नी श्री प्रकाश
4. विमला पुत्री रतीराम पत्नी श्री सुरेश निवासीयान जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर
5. भरपाई पत्नी रतीराम
6. पंकज
7. पिन्टू पुत्रान् देशराज निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०
8. मनीषा पुत्री देशराज पत्नी श्री प्रवीण निवासी खरमपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर
9. मनीता पुत्री देशराज पत्नी श्री पवन तह० बावल जिला रेवाडी हरियाणा
10. बिमला पत्नी देशराज
11. हसंराज
12. रूपाराम
13. आनन्द पुत्रान् मातादीन जातियान जाट निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०
14. मीरा पुत्री मातादीन पत्नी पोकर निवासी चिरुणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर


तहसील कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुकदमा (खैरथल-तिजारा)


15. सुमित्रा पुत्री मातादीन पत्नी लखीचंद निवासी चिरुणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर
16. निहालो पुत्री मातादीन पत्नी हवासिंह निवासी चिरुणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर
17. सुनीता पुत्री मातादीन पत्नी सतीश निवासी हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर
18. धर्मा पत्नी गजराज
19. उषा पुत्री गजराज
20. परभाती
21. जलेशिंह पुत्रान् रामदयाल
22. विजय सिंह
23. हसरान
24. शेरसिंह पुत्रान समुद्रसिंह निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०
25. ईशवन्ता पुत्री समुद्रसिंह पत्नी श्री धर्मपाल
26. सावत्री पुत्री समुद्रसिंह पत्नी हुकम सिंह
27. सुमित्रा पुत्री समुद्रसिंह पत्नी सूरजमान निवासीयान भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०
28. नस्थी देवी पत्नी छाजू जातियान जाट निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०
29. सुगना पुत्री छाजू पत्नी श्री ओमप्रकाश निवासी सिरुड तहसील मुण्डावर जिला अलवर
30. सन्तया पुत्री छाजू पत्नी श्री महेन्द्र निवासी भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर
31. सन्तोष पुत्री छाजू पत्नी श्री लखमीराम निवासी भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर
32. सुनीता पुत्री छाजू पत्नी सुमेर निवासी भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर
33. प्रतापसिंह
34. पूरण सिंह पुत्रान् छाजू जातियान जाट निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०
35. तहसीलदार मुण्डावर जरिये लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
36. उपपंजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

दावा— तकासमा मय हु० ई० दवामी


 तकासमा फलदार (फा० ई०)
 मुण्डावर (चिरुणी-जिला)

3900 हैं० खसरा नं० 590 रकबा 0.2100 हैं० खसरा नं० 609 रकबा 1.0100 हैं०, खसरा नं० 627 रकबा 0.2900 हैं० खसरा नं० 636 रकबा 0.1600 खसरा नं० 657 रकबा 0.1000 हैं०, खसरा नं० 659 रकबा 0.8100 हैं० खसरा नं० 1561 रकबा 0.2500 80, आया हुआ है। जिसमें खसरा नं० 609 रकबा 1.0100 हैं० पर 1/2 तथा शेष सभी खसरा नं० पर पूर्ण हिस्सा पर वादीगण काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। सभी वादी एवं प्रतिवादीगण लगभग 50 वर्ष पूर्व किये गये बाहमी बँटवारे के आधार पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने अपने हिस्से आये खसरा नम्बरों पर ट्यूबवैल कर रखा है। विद्युत कनेक्शन ले रखा है। पार्इप लार्इन सभी खसरा नम्बरों में दबा रखी है। तथा चारा जालने व सामान रखने के लिए मकानात बना रखे हैं। जिसमें काफी पैसा खर्च किया गया है। साथ ही भूमि सुधार और खाद पर भी बहुत पैसा खर्च किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड शामिलती है तथा प्रतिवादीगण जो कि बेईमान व्यक्ति हैं जो आये दिन भिन वादी के हिस्से में काश्त कार्य को लेकर झगडा फसाद करते रहते हैं। मजामहत पैदा करते हैं भिन वादीगण का हिस्सा जिसको अधिक उपजाऊ बनाने हेतु काफी लागत लगाई हुई है। उस पर जबरन कब्जा कर आराजी का बिना तकासमा करये ही दीगर लोगों को बेचान करने व उस पर मकान बनाने पर उतारू हो रहे हैं। उक्त आराजी अबट है। तथा भिन वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार विधिक तकासमा कराने बाबत कहा लेकिन हमेशा ही टाल बाल करते रहे हैं। और अब तकासमा कराने से साफ इंकार हो गये हैं। इसलिए भिन वादी उक्त आराजी का तकासमा बाई मित्स बाउण्डस कब्जे काश्त के अनुसार किये जाये। प्रतिवादीगण भिन वादी को काश्त करने में मजामहत पैदा करते रहते हैं दिनाक 01.02.2021 को प्रतिवादीगण एक राय होकर आराजी पर आये तथा अ. खसरा नं० 67 रकबा 2.78 हैं० रामकरण के वारिसगण प्रतिवादीसं० 1 लगायत 19 के नाम तथा खसरा नं० 564 रकबा 0.1300 हैं०, खसरा नं० 579 रकबा 0.5900 हैं० खसरा नं० 584 रकबा 0.1400 हैं० खसरा नं० 588 रकबा 0.2800 हैं०, खसरा नं० 594 रकबा 0.3600 हैं० खसरा नं० 624 रकबा 0.2400 हैं० खसरा नं० 630 रकबा 0.4600 हैं० खसरा नं० 634 रकबा 0.1100 हैं० खसरा नं० 638 रकबा 0.5000 हैं० रामदयाल के वारिस प्रतिवादी सं० 19 लगायत 34 के हिस्से जिस पर खसरा नं० 609 रकबा 1.0100 हैं० पर 1/2 तथा शेष खसरा नं० पर पूर्ण हिस्से पर रामदयाल के वारिसान प्रतिवादीगण 19 लगायत 34 के नाम और खसरा नं० 581 रकबा 0.3900 हैं०, खसरा नं० 590 रकबा 0.2100 हैं० खसरा नं० 609 रकबा 1.0100 हैं०, खसरा नं० 627 रकबा 0.2900 हैं० खसरा नं० 636 रकबा 0.1600 खसरा नं० 657 रकबा 0.1000 हैं० खसरा नं० 659 रकबा 0.8100 हैं० खसरा नं० 1561 रकबा 0.2500 हैं० जिसमें खसरा नं० 609 रकबा 1.0100 हैं० पर 1/2 तथा शेष सभी खसरा नं० पर पूर्ण हिस्सा दोलाराम के वारिसान् वादीगण 1 लगायत 3 के नाम तकासमा बाई मित्स एण्ड बाउण्डस कर वादीगण का हिस्से को अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड


 न्यायिक कलेक्टर (सांठेरो)
 मुम्बई सिविल-दिलाराम

किया जावे प्रतिवादिगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हु० ई० दवामी से पाबन्द किया जावे की वो उक्त आराजी को बिना तकासमा कराये कही दीगार जगह रहन वैय ना करे ना ही दीगार लोगों को आराजी खुर्द बुर्द करे ना काश्त कार्य में वादी को मजामहत पैदा करे। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।


हमने वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को द्वारा सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला उपस्थित नहीं आये। वकील वादी ने वाद तकासमा का होने के कारण सहमति से प्रारम्भिक निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया। वाद वादी को उभय पक्षकारान की सहमति से प्रारम्भिक निर्णित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन मे सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2071 से 2074, नकल नक्शा ट्रेश आदि पेश किये है प्रकरण मे तहसीलदार मुण्डावर को इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्ते) संबंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दुष्टिगत रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 23.12.2022 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये। उक्त आराजी बाबत मंगाये जाने कुर्रजात प्रस्ताव तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पत्रांक भू अभिलेख 3974 दिनांक 24.07. 2023 द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रेषित की गई। उक्त प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के पर वकील उपभयपक्षकारान को सुना गया उपस्थित पक्षकारान ने कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करने की सहमति प्रदान की। वाद वादी डिक्री किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत है।

:- आदेश -:

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है। कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 17.08. 2024 प्रदर्श - ए निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त प्रदर्श - ए के अनुसार ही हाल भू अभिलेख में सम्बन्धित पक्षकारान को खातेदार अंकित किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 06/12/2024 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मनीष कुमार जासवाल)
(R.A.S.)

उपस्थण्ड अधिकारी

किया जावे प्रतिवादिगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हु० ई० दवामी से पाबन्द किया जावे की वो उक्त आराजी को बिना तकासमा कराये कही दीगर जगह रहन वैय ना करे ना ही दीगर लोगों को आराजी खुर्द बुर्द करे ना काश्त कार्य में वादी को मजामहत पैदा करें। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।


हमने वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को द्वारा सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला उपस्थित नही आये। वकील वादी ने वाद तकासमा का होने के कारण सहमति से प्रारम्भिक निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया। वाद वादी को उभय पक्षकारान की सहमति से प्रारम्भिक निर्णित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन मे सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2071 से 2074, नकल नक्शा ट्रेश आदि पेश किये है प्रकरण मे तहसीलदार मुण्डावर को इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्ते संबंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दुष्टिगत रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 23.12.2022 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये। उक्त आराजी बाबत मंगाये जाने कुर्रजात प्रस्ताव तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पत्रांक भू अभिलेख 3974 दिनांक 24.07. 2023 द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रेषित की गई। उक्त प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट पर वकील उपभयपक्षकारान को सुना गया उपस्थित पक्षकारान ने कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करने की सहमति प्रदान की। वाद वादी डिक्री किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत है।

:— आदेश —:

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है। कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 17.08. 2024 प्रदर्श — ए निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त प्रदर्श — ए के अनुसार ही हाल भू अभिलेख में सम्बन्धित पक्षकारान को खातेदार अंकित किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 06/12/2024 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मनीष कुमार जासवाल)
(न्यायालय-दिल्ली)

(R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

धीठासीन अधिकारी - मनीष कुमार जाटव
(R.A.S.)


दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
14 / 2021	12.02.2021	06.12.2024

1. शिवलाल उम्र करीब 60 वर्ष
2. सुबेसिंह उम्र करीब 52 वर्ष
3. सुनील कुमार उम्र करीब 38 वर्ष पुत्रान् श्री धीसाराम जातियान जाट निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०

// बनाम //

---वादीगण


1. धर्मसिंह उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र श्री उदमीराम
2. दिनेश पुत्र श्री रतीराम निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर
3. कमला पुत्री रतीराम पत्नी श्री प्रकाश
4. विमला पुत्री रतीराम पत्नी श्री सुरेश निवासीयान जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर
5. भरपर्द्द पत्नी रतीराम
6. पंकज
7. पिन्दू पुत्रान् देशराज निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०
8. मनीषा पुत्री देशराज पत्नी श्री प्रवीण निवासी खरमपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर
9. मनीला पुत्री देशराज पत्नी श्री पवन तह० बावल जिला रेवाडी हरियाणा
10. बिमला पत्नी देशराज
11. हसरज
12. रूपाराम
13. आनन्द पुत्रान् मातादीन जातियान जाट निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०
14. मीरा पुत्री मातादीन पत्नी पोकर निवासी चिरुणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर


राजस्थान सरकार (राज०दे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

15. सुमित्रा पुत्री मातादीन पत्नी लख्मीचंद निवासी चिरुणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर
16. निहालो पुत्री मातादीन पत्नी हवासिंह निवासी चिरुणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर
17. सुनीता पुत्री मातादीन पत्नी सतीश निवासी हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर
18. धर्मा पत्नी गजराज
19. उषा पुत्री गजराज
20. परमाती
21. जलेशिंह पुत्रान् रामदयाल
22. विजय सिंह
23. हसराज
24. शेरसिंह पुत्रान् समुद्रसिंह निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०
25. ईशवन्ता पुत्री समुद्रसिंह पत्नी श्री धर्मपाल
26. सावत्री पुत्री समुद्रसिंह पत्नी हुकम सिंह
27. सुमित्रा पुत्री समुद्रसिंह पत्नी सूरजभान निवासीयान भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०
28. नत्थी देवी पत्नी छाजू जातियान जाट निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०
29. सुगना पुत्री छाजू पत्नी श्री ओमप्रकाश निवासी सिरौड तहसील मुण्डावर जिला अलवर
30. सन्तरा पुत्री छाजू पत्नी श्री महेन्द निवासी भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर
31. सन्तोष पुत्री छाजू पत्नी श्री लखमीराम निवासी भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर
32. सुनीता पुत्री छाजू पत्नी सुमेर निवासी भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर
33. प्रतापसिंह
34. पूरण सिंह पुत्रान् छाजू जातियान जाट निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०
35. तहसीलदार मुण्डावर जरिये लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
36. उपपंजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर

प्रतिवादीगण


दावा- तकासमा मय हु० ई० दवासी


 (फा००२०)
 दालबट्टर (फा००२०)
 (अलवर-जिलाय)
 अलवर

—: पर्या डिक्री : —

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है। कुरैजात रिपोर्ट दिनांक 17.08.2024 प्रदर्श — ए निर्णय एवं पर्या डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त प्रदर्श — ए के अनुसार ही हाल भू अभिलेख में सम्बन्धित पक्षकारान को खातेदार अंकित किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

आज दिनांक 06.12.2024 को यह पर्या डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।


(मनीष कुमार जाइसवाल) (पाठकेंद्र)
(R.A.S.) (खैरथल-तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर जिला खैरथल — तिजारा